कार्यालय उप जिलाधिकारी रूड़की।

पत्रांक–295 /पी०ए० दिनांक: अप्रैल 17 ,2023

विषयः– **NGT original Application N0. 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttarakhand के सम्बन्ध में रूड़की में सोनाली नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने व पानी के बहाव को अवरूद्ध करने और पानी के प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।**

Sh. Rahul Verma,
Additional Advocate General,
State of Uttarakhand, Delhi.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांकित 17–02–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन, कलेक्ट्रेट हरिद्वार का पत्र संख्या–209/एल०बी०ए०/2023 दिनांक 21–02–2023 प्राप्त हुआ। प्रकरण में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–O. A. N0. 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 10–02–2023 का अनुपालन किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय एन०जी०टी० द्वारा सभी विभाग सोनाली नदी पर से अवैध कब्जे को हटाने और अनुपचारित सीवेज जो नदी में छोड़ा जा रहा है की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 23–03–2023 को बैठक आहूत की गई जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र सं०–228/पी०ए० दिनांक 25–03–2023 के द्वारा सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी का पत्र संख्या–227/उखगनरू/रा०अनु०/एन०जी०टी० दिनांक 12–04–2023 (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि अन्यों के साथ जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को भी पृष्ठांकित की गई है। उक्त के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता–तृतीय, रूड़की से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं०–105/स०अ०–3 दिनांक 12–04–2023 के अनुसार जिलेदार रूड़की द्वारा 13 अतिक्रमणकारियों (जिनके द्वारा चारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11–04–2023 में विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कास्त की गई चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। मा० न्यायालय एन०जी०टी० के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), जगजीतपुर–हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या–644/डी०जी०पी०सी०/32 दिनांक 13–04–2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि रूड़की शहर में सोलानी नदी में वर्तमान में निम्नलिखित नाले गिर रहे हैः– 1–आदर्श नगर ड्रेन अपर 2–आदर्श नगर ड्रेन लोअर 3–धोबी घाट ड्रेन 4–सोत मोहल्ला ड्रेन 5–इमली रोड ड्रेन 6–मच्छी मौहल्ला लोअर ड्रेन 7–रामपुर चुंगी ड्रेन। उपरोक्त नालों के सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है। उक्त नालों के गन्दे पानी को टैप कर शोधन हेतु एस०टी०पी० का निर्माण किये जाने हेतु प्राक्कलन नमामि गंगे कार्यकम के अन्तर्गत तैयार कर कार्यालय कार्यकम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अभिनव शाह)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की

प्रेषक, अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

प्रेषित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
रूड़की

पत्रांकः– 227 /उखगनरू/रा0अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 12.04.2023

विषयः– N.G.T.Original Application No. 632/2022, V.K. Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रूड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने व पानी के बहाव को अवरूद्व करने और पानी को प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 228/पी0ए0/दिनांक 25.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 को अपरान्ह 11.00 बजे आपके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें इस खण्ड की ओर से श्री मुनेश कुमार शर्मा, उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की उपस्थित हुए थे। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 2 में उपरोक्त मौके पर 13 अतिक्रमणकारियों के नोटिस निर्गत कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण की जॉच सहायक अभियन्ता–तृतीय रूड़की से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं0 105/स0अ0–3/दिनांक 12.04.2023 के अनुसार जिलेदार रूड़की द्वारा 13 अतिक्रमणकारियो (जिनके द्वारा चारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरूद्व नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 में विभाग द्वारा आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कास्त की गई चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। मा0 न्यायालय N.G.T. के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। अवैध कास्त से मुक्त करायी गई भूमि के फोटोग्राफस की छाया प्रति सलग्न है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12.4.23
अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

पत्रांकः– /उखगनरू/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'गौरा देवी पर्यावरण' भवन 46बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून–248001
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की।
5. सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सन्दर्भ में।
6. उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

PA

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
रूड़की
13/04/2023

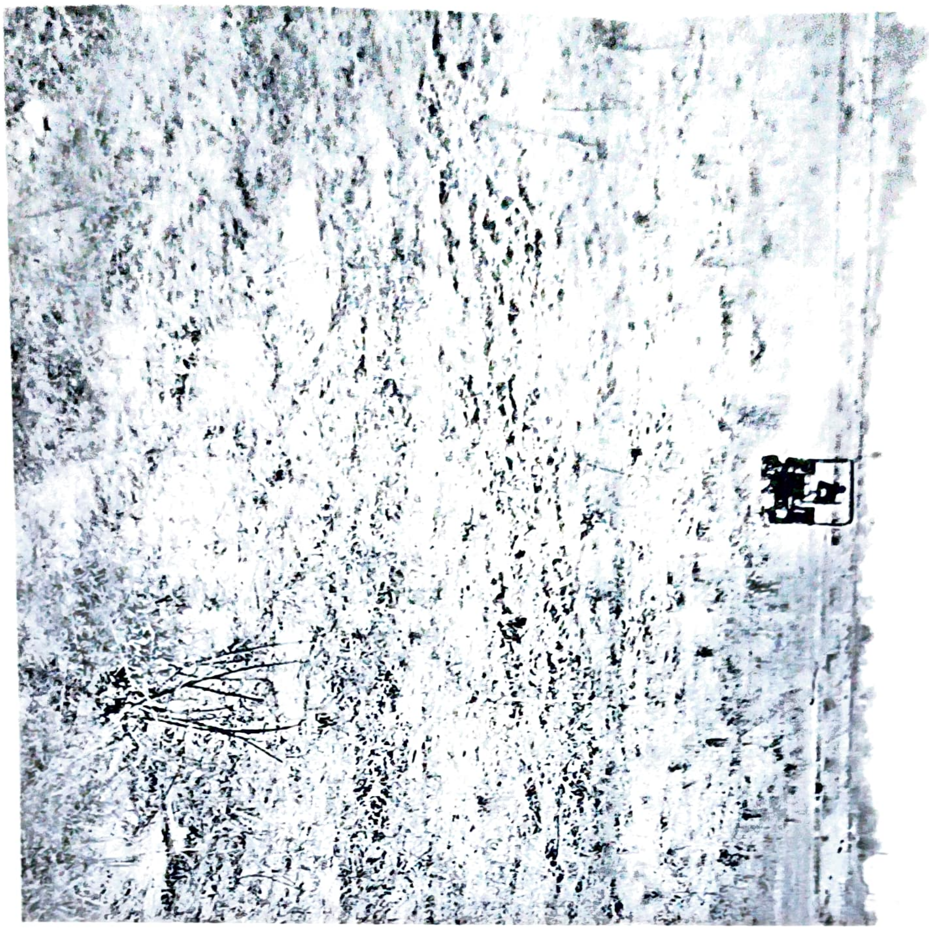

ESCORT

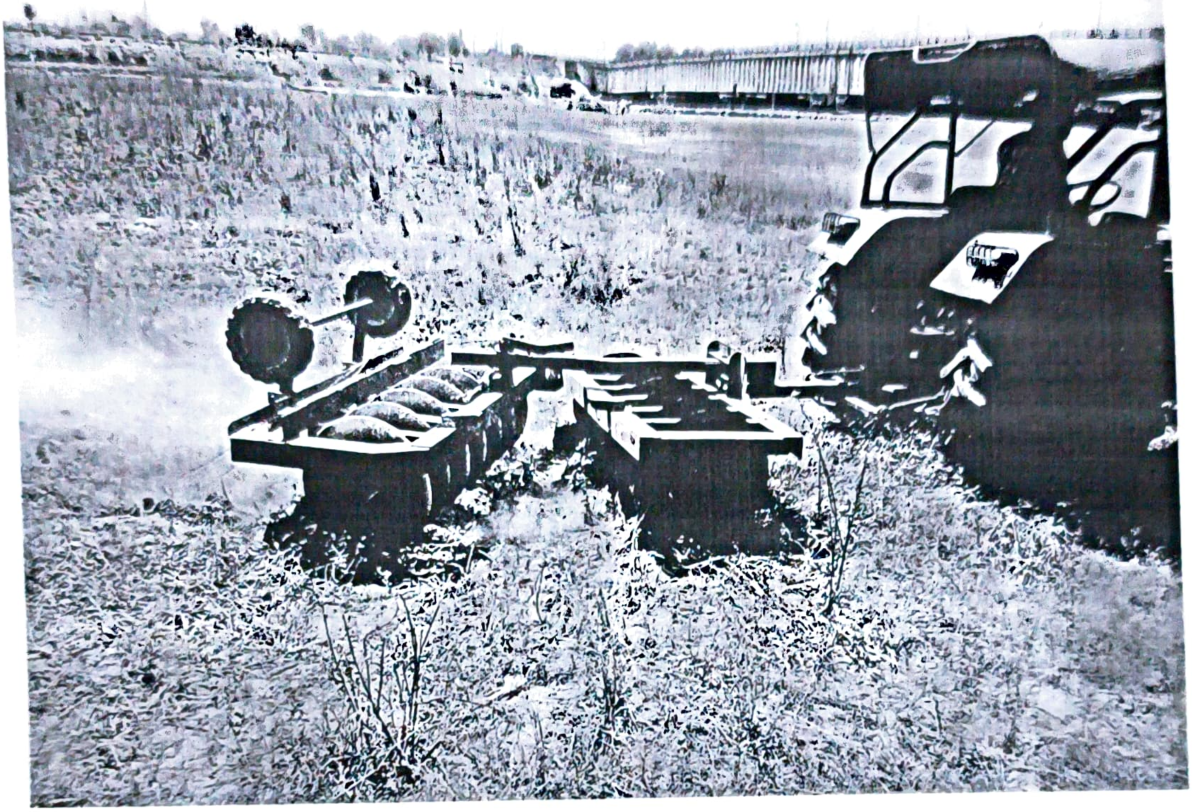

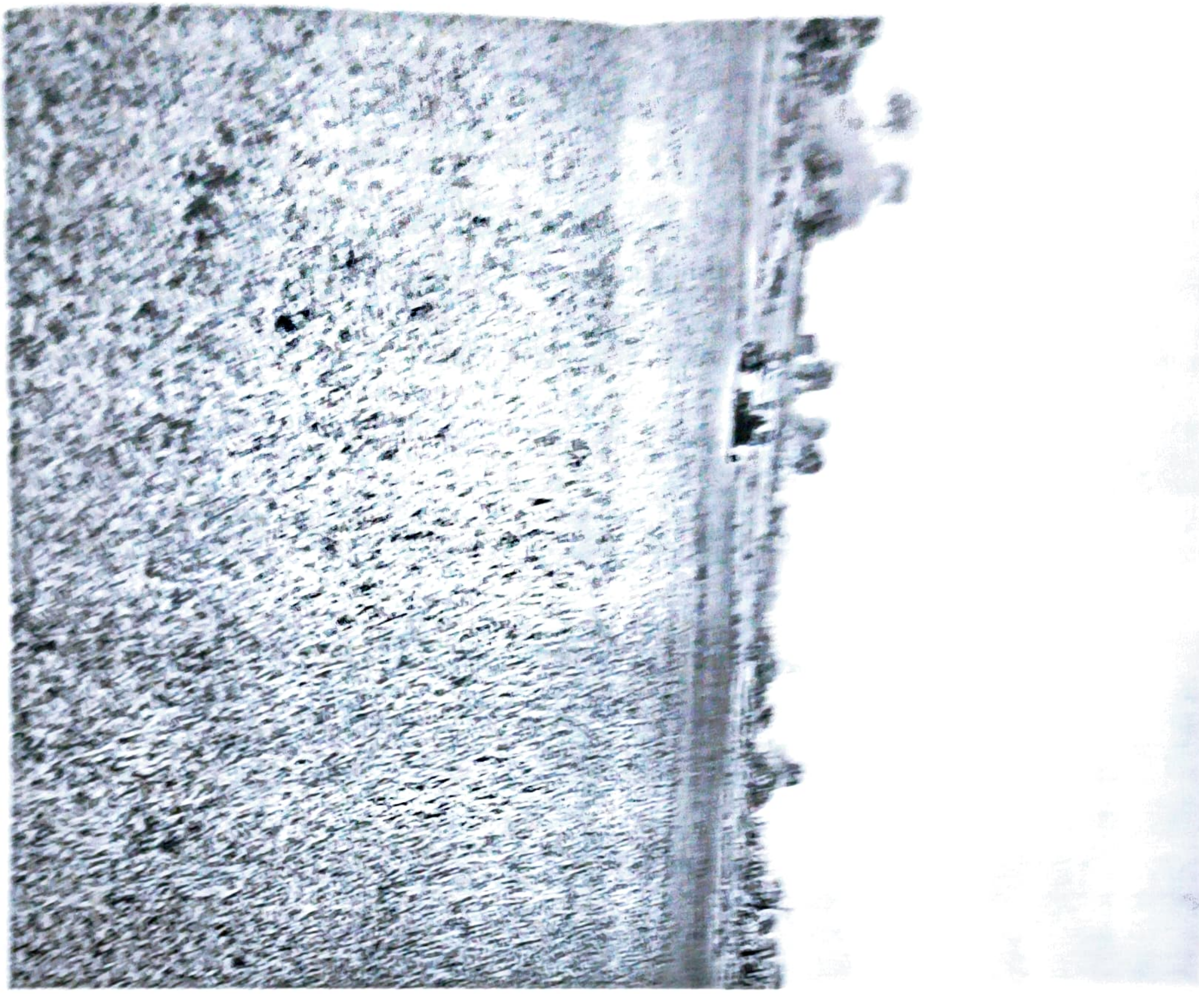

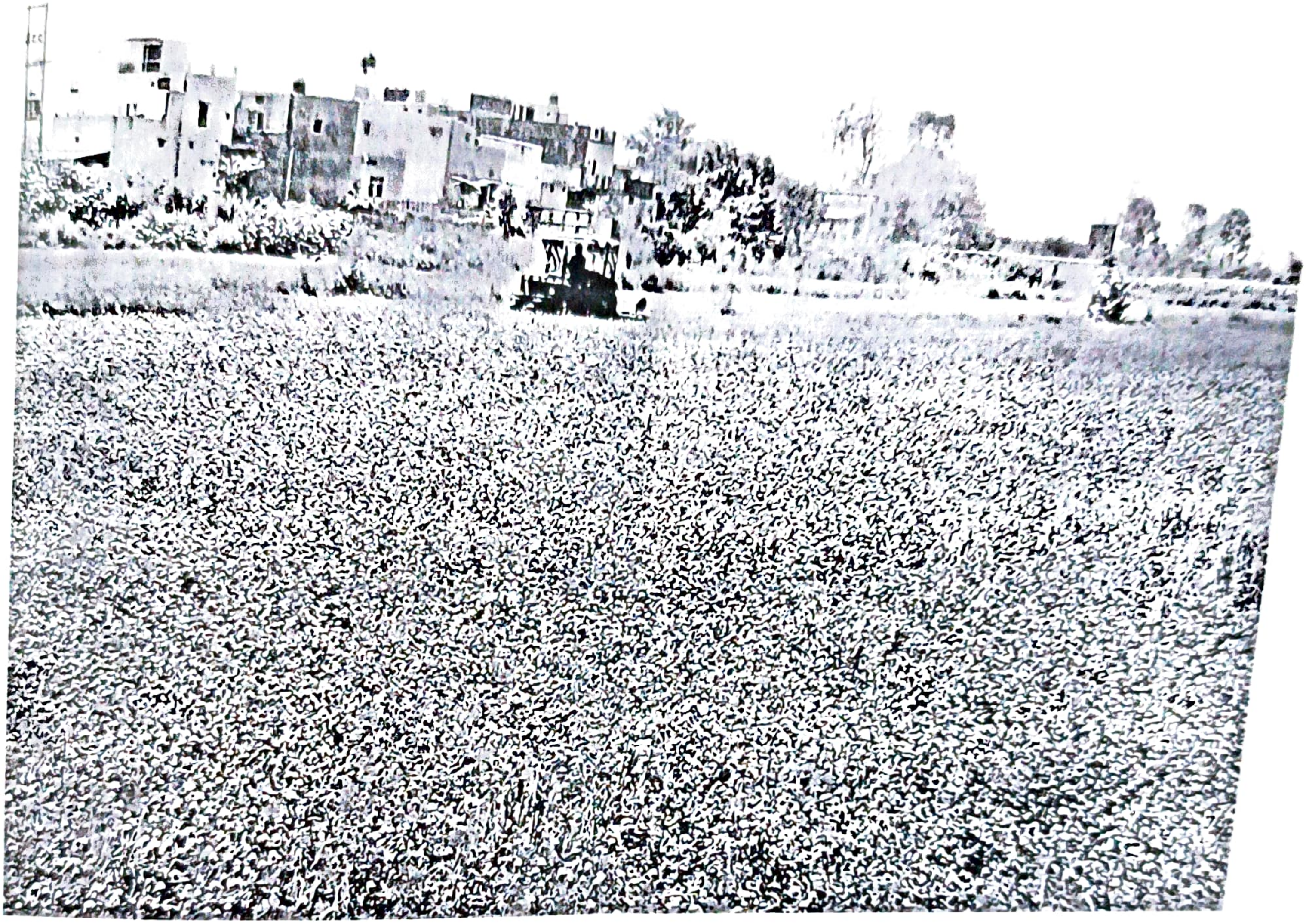

पत्रांक- 82

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
जगजीतपुर, पोस्ट—कनखल
हरिद्वार—249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar- 249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No 644 / D.C.P.C. 132   date 13/4/2023   Through - Email/Post

सेवा में,

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट,
रूड़की।
ई—मेल :— jm.roorkee@gmail.com, jm-rod-ua@nic.in

विषय :— दिनांक 23.03.2023 को ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रूड़की महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 228 / पी०ए० दिनांक 25.03.2023 के द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रूड़की शहर से सोनाली नदी में वर्तमान में निम्नलिखित नाले गिर रहे है :—

1. आदर्श नगर ड्रेन अपर
2. आदर्श नगर ड्रेन लोअर
3. धोबीघाट ड्रेन
4. सोत मौहल्ला ड्रेन
5. इमली रोड ड्रेन
6. मच्छी मोहल्ला लोअर ड्रेन
7. रामपुर चुंगी ड्रेन

उपरोक्त नालों के सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है। उक्त नालों के गन्दे पानी को टैप कर शोधन हेतु एस०टी०पी० का निर्माण किये जाने हेतु प्राक्कलन नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार कर कार्यालय कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीया,

13/04/23

(मीनाक्षी मित्तल विशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूड़की को उनके पत्र 800 / बैठक / 08 दिनांक 28.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

13/04/23

परियोजना प्रबन्धक